उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(जिला नजारत शाखा)

दूरभाष सं0 :–06432-232680 फैक्स–06432-232967 ई–मेल :–nazaratdeoghar@gmail.com

अल्पकालीन निविदा

समाहरणालय, देवघर के विभिन्न शाखाओं में व्यवहार होनेवाले विभिन्न प्रकार के सामग्रियों की क्रय से संबंधित **दर निर्धारण** हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक ....18:12:2020.. को 1:00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है।

निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त मुहरबंद निविदाएँ उसी दिन अर्थात् दिनांक ..18:12:2020 को अपराह्न 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला निविदा समिति के समझ खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। सामग्रियों की सूची http://deoghar.nic.in पर देखा जा सकता है।

निविदा की शर्तें :–

1. सभी निविदाएँ द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelop System) के अनुसार डाली जाएगी।
2. निविदादाता एक लिफाफे में साफ–साफ शब्दों में ''तकनीकी वीड'' तथा दुसरे लिफाफे में ''वित्तीय वीड'' अंकित करेंगे। लिफाफे के उपर अपना नाम–पता साफ–साफ अंकित करेंगे एवं दोनो लिफाफे को तीसरे लिफाफे में डालकर मुहरबन्द कर उपायुक्त, देवघर के पदनाम से जिला नजारत में रखे निविदा बॉक्स में जमा करेंगे।
3. तकनीकी वीड लिफाफे में अद्यतन आयकर रिटर्न, GSTIN निबंधन प्रमाण पत्र, काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने का नोटरी का शपथ पत्र संलग्न करेंगे, अनुभव प्राप्त निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी तकनीकी कागजात सही पाये जाने पर ही वित्तीय वीड खोला जाएगा।
4. निविदा के साथ 50,000/– (पचास हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त, देवघर के पदनाम से जो देवघर में भुगतान होगा, संलग्न करना होगा।
5. सभी सामग्रियों का दर GST कर सहित उल्लेख करेंगे। निर्धारित दर के अलावे अन्य कोई कर देय नही होगा।
6. मुहरबंद निविदा नहीं रहने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. कार्यादेश प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना होगा।
8. सामग्री की आपूर्ति आदेश प्राप्ति के उपरान्त सामग्री संबंधित स्थान पर पहूँचाने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। इसके लिए अलग से व्यय देय नही होगा।
9. निविदा अर्न्तगत न्यूनतम दर पर एक या एक से अधिक निविदादाता के बीच कार्यादेश निर्गत करने एवं निविदा को पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. निविदादाता को उपरोक्त सामग्री का नमुना निविदा खोलने के समय लाना अनिवार्य होगा।

27/11/2020 03/12/2020

जिला नजारत उपसमाहर्त्ता, देवघर

अपर समाहर्त्ता, देवघर

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।

D:\Nazarat\Tender\Stationary Aalpkalin Niwida.docx